

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/271

मुकदमा नम्बर 65/2025

दर्ज दिनांक— 13.05.2025

सुण्डाराम पुत्र मंगेजा राम जाति मीणा, निवासी नवलडी, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू  
—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री सुरेन्द्र सिंह भर्मा

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम नवलडी पटवार हल्का नवलडी की सरहद में स्थित नया खाता सं. 670 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1244 रकबा 2.10 है, खसरा नं. 570 रकबा 0.82 है, खसरा नं. 571 रकबा 0.55 है, खसरा नं. 572 रकबा 1.50 है कुल किता 4 कुल रकबा 4.97 है में आवेदक का नाम श्यामसुन्दर पुत्र मंगेजा के स्थान पर सुण्डाराम पुत्र मंगेजा राम दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार उजर एतराज जाहिर नहीं किया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम नवलडी पटवार हल्का नवलडी की सरहद में स्थित नया खाता सं. 670 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1244 रकबा 2.10 है, खसरा नं. 570 रकबा 0.82 है, खसरा नं. 571 रकबा 0.55 है, खसरा नं. 572 रकबा 1.50 है कुल किता 4 कुल रकबा 4.97 है में आवेदक का नाम श्यामसुन्दर पुत्र मंगेजा के स्थान पर सुण्डाराम पुत्र मंगेजा राम, दुरुस्त किया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सैनी )RAS  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुझुनू